राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

हरियाणा उत्सव

www.haryanautsav.com

वर्ष– 08, अंक–33 | 28 मार्च शुक्रवार से 03 अप्रैल गुरुवार 2025 | पृष्ठ – 04 | मूल्य : रूपया 02 | RNI No. HARHIN/2016/75595

लोकसभा में आधी रात को पारित हुआ वक्फ विधेयक

विपक्षी सांसदों के संशोधन खारिज, सरकार बोली– यह इस्लाम विरोधी नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में आधी रात को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े। इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। मोदी सरकार के लिए यह बड़ी परीक्षा थी। एनडीए ने इस बिल के पक्ष में पूरी तरह से एकजुटता दिखाई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बिल मुस्लिम, इस्लाम विरोधी नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। विपक्षी सांसदों के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए। चर्चा का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं सभी नेताओं को बिल के बारे में अपने विचार रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ नेता कह रहे हैं कि बिल

असंवैधानिक है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे कैसे कह सकते हैं कि बिल असंवैधानिक है। अगर यह असंवैधानिक था, तो कोर्ट ने इसे रद्द क्यों नहीं किया? असंवैधानिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए... बिल संविधान के खिलाफ नहीं है, जैसा कि विपक्ष ने दावा किया है। हमें संवैधानिकश और असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल इतने हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विभिन्न मुद्दे उठाते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों के लिए वक्फ में मुसलमानों के बच्चों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। हिंदुओं के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के लिए पहले से ही प्रावधान है। इस पर कोई दूसरा कानून बनाने की जरूरत नहीं है। सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए शाह ने स्पष्ट किया कि इसके कानून का रूप लेने के बाद इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जबकि (विपक्ष द्वारा) मुस्लिम भाइयों को इस बहाने डराया जा रहा है। शाह ने कहा, ''यह पैसा जो चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा।'' उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में (वक्फ की जमीन के लिए) जो मिलीभगत चल रह रही है वह अब नहीं चलेगी। गृह मंत्री ने कहा, ''वे कहते हैं कि इसका (वक्फ की संपत्ति) हिसाब–किताब न करो, लेकिन इसका पैसा देश के गरीबों के लिए है न कि धन्ना सेठों के चोरी करने के लिए है।'' शाह ने दावा किया कि विधेयक के कानून का रूप लेने के चार साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे में हैं। उन्होंने द्रमुक सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि विधेयक का विरोध कर वे दक्षिण (भारत) के सासंद अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं।''

भारत को चीन से वापस लेनी चाहिए अपनी जमीन, लोकसभा में गरजे राहुल गांधी, ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा भी उठाया

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए

पारस्परिक शुल्कों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और यह भी आरोप लगाया कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर चीन को पत्र लिखा है, लेकिन यह जानकारी हमारी सरकार की ओर से नहीं बल्कि बीजिंग के दूत के माध्यम से सामने आई है। लोकसभा में राहुल ने कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने चीन को पत्र लिखा है। हमें यह बात अपने लोगों से नहीं बल्कि चीनी राजदूत से पता चल रही है जो यह बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ, हमारे सहयोगी ने हम पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह हमें पूरी तरह से तबाह कर देगा। भारत सरकार हमारी जमीन के बारे में क्या कर रही है और टैरिफ के मुद्दे पर आप क्या करेंगे। गांधी ने कहा कि भारतीय निर्यात पर पारस्परिक शुल्क लगाने का डोनाल्ड ट्रंप का कदम हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला है। बुधवार को गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक की आलोचना करते हुए इसे मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को कमजोर करने का एक साधन बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा, आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

पुष्पा स्टाइल में राज्यसभा में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, अनुराग ठाकुर से माफी की मांग की

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए 'भूमि हड़पने' के आरोप साबित हो जाते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे। खड़गे ने यह फिल्मी अंदाज में जवाब दिया। ठाकुर ने एक दिन पहले लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान यह आरोप लगाया था। तीखे जवाब में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने न केवल इस दावे को निराधार बताया बल्कि माफी की मांग भी की। उन्होंने साफ कर दिया कि वह राजनीतिक हमलों के आगे नहीं झुकेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि अनुराग ठाकुर द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों से मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने भाजपा सांसद से कहा कि वह अपने खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को साबित करें या इस्तीफा दें। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि प्रस्तावित कानून कांग्रेस की ष्तुष्टीकरण की राजनीतिष के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर ठाकुर के साथ–साथ राज्यसभा में सदन के

नेता जे पी नड्डा को भी माफी मांगनी चाहिए। खरगे ने कहा, ''मेरा करीब 60 साल का राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। कल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में मुझ पर पूरी तरह झूठे और निराधार आरोप लगाए। जब मेरे सहयोगियों ने उन्हें चुनौती दी, तो उन्हें अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नुकसान तो हो चुका है। उन्होंने ठाकुर को अपने आरोप साबित करने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा सांसद अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकते, तो ''उन्हें संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।'' खरगे के इतना कहने के बाद विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड को मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने गैर–जिम्मेदाराना तरीके से जमीन का इस्तेमाल एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने वोट बैंक एटीएम के रूप में किया।

देश में यूरोपीय मानक की बसें चलेंगी, 'हथौड़ेछाप' बसें नहीं: गडकरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस हादसों में लोगों की होने वाली मौत पर चिंता जताते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि अब यूरोपीय मानक वाली बसें परिचालित किये जाने और 'हथौड़ेछाप' बसें संचालित नहीं होने देने को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, देश के कई हिस्सों में विनिर्मित होने वाली उन बसों का उल्लेख किया जो सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता नहीं हैं। गडकरी ने कहा, ''अब देश में यूरोपीय मानक वाली बसें चलेंगी, हथौड़ेछाप बसें नहीं चलेंगी। उन्होंने ट्रक चालकों की सुरक्षा को लेकर कहा, ''अब हमारे विभाग ने तय किया है कि कोई भी ट्रक एयरकंडीशन के केबिन के बिना (परिचालन के लिए) नहीं आएगा। अगर यहां (लोकसभा में) एसी नहीं होता, तो हमारी हालत क्या होती। इसलिए, हमने इसे (ट्रकों में एसी वाले केबिन) को अनिवार्य बनाया है। मंत्री ने यह भी कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

फुल फॉर्म में दिखे अमित शाह, रात के दो बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर मंजूरी का प्रस्ताव पेश

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर दिन भर चली मैराथन चर्चा के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर लोकसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया। यह चर्चा 12 घंटे से अधिक समय तक चली। शाह ने गुरुवार को सुबह करीब 2 बजे वैधानिक प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद चर्चा हुई। सदन ने 40 मिनट की चर्चा के बाद ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें आठ विपक्षी सांसदों ने बात की और शाह ने जवाब दिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उनकी पार्टी ने पूर्वोत्तर के इस संघर्षग्रस्त राज्य में राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्षेत्र में शांति और स्वास्थ्य बहाल करने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। लगभग दो साल तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई। यह तभी लगाया गया जब राज्य विधानसभा के फिर से शुरू होने से पहले सीएम (मुख्यमंत्री) ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अविश्वास

प्रस्ताव तैयार कर लिया था। वे बच नहीं पाए और इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। थरूर ने कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मणिपुर गए हैं, प्रधानमंत्री को भी राज्य का दौरा करना चाहिए। शाह ने जवाब दिया कि पिछले चार महीनों में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हमने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो महीने के भीतर यह घोषणा की है। कृपया एकजुट हों, इसका समर्थन करें और मणिपुर में शांति बहाल करें। सरकार शांति बहाल करने और घावों को भरने के लिए काम कर रही है। शाह ने इस बात से इनकार किया कि सरकार ने जातीय झड़पों को ठीक से नहीं संभाला और कहा, हमने तुरंत कार्रवाई की। सरकार ने उसी दिन सुरक्षा बलों को हवाई मार्ग से भेजा जिस दिन HC (हाई कोर्ट) ने आदेश पारित किया था। हिंसा [illegible] के आदेश के बाद शुरू हुई, जिसकी दोनों समूहों ने अलग–अलग व्याख्या की। इसमें कोई देरी नहीं हुई।

बंगाल सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी को रखा बरकरार

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा संचालित और राज्य–सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य करार देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। 3 अप्रैल, 2025 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पहले के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया गंभीर अनियमितताओं से दूषित थी, जिसके कारण इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन भर्ती प्रक्रिया में बुनियादी तौर पर खामियां थीं। अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी ने नियुक्तियों की ईमानदारी को इस हद तक प्रभावित किया है कि उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया दूषित और दागी थी, जिससे नियुक्तियां अमान्य हो गईं। न्यायालय का यह निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अप्रैल 2024 के फैसले को पुष्ट करता है, जिसने पश्चिम बंगाल के विभिन्न विद्यालयों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इस निर्णय के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विवादास्पद भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों को उनके पदों से हटा दिया जाएगा।

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की बारी, किरेन रिजिजू ने पेश किया विधेयक

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पारित होने के बाद आज सभी की निगाहें राज्यसभा पर हैं। एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विधेयक पारित करने का भरोसा जताया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि वह विधेयक के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज की तारीख में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में अगर सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी। रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि हमने राज्य सरकारों, अल्पसंख्यक आयोगों और वक्फ बोर्डों से बात की और इस विधेयक को संसद में लाया। जेपीसी

का गठन किया गया और राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। कई लोगों को जेपीसी के परामर्श पर संदेह था। कल लंबी चर्चा के बाद विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। किरेन रिजिजू ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूं। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच और साढ़े 10 घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद देर रात करीब दो बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को पारित कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने के कई विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को मुसलमानों को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया, सुन्नी समेत समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार तो देश में सबसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय पारसी को भी बचाने के लिए प्रयास कर रही है। रीजीजू ने कहा, ''विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन यह कहना कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''मैं खुद अल्पसंख्यक हूं और कह सकता हूं कि भारत से ज्यादा अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित नहीं हैं। हर अल्पसंख्यक समुदाय शान से इस देश में जीवन जीता है।'' उन्होंने विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ''सदन में इस तरह देश को बदनाम करना....आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी।''

Our Identification to Impart Better Education with Knowledge
A School that gurantees a bright future, quality education and all round development of your ward.
ARYA SR.. SEC. SCHOOL
CBSE Pattern
Permanent Recognized
Near Govt. College, Jind Road GOHANA
A CO-EDUCATIONAL ENGLISH MEDIUM SCHOOL
ADMISSION OPEN
PRE NURSERY to 12th
Admission Open
• Special Batch For KVS, Sainik
• School, Military School, Navodaya Vidyalaya
ART'S | COMMERCE | SCIENCE
Medical/Non Medical
Admission Helpline No. 9671124281, 7988261505

सम्पादकीय

बुलडोजर से नाइंसाफी

यह पहली बार नहीं है कि देश की शीर्ष अदालत को कहना पड़ा कि कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई न्याय के नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ऐसी बलपूर्वक की गई कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर की नाइंसाफी नजर आई। कोर्ट का कहना था कि यह बुलडोजरी अन्याय केवल झुग्गियों व मकानों को ही नहीं गिरा रहा है, बल्कि यह कानून की उचित प्रक्रिया व अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण है। जो हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। शीर्ष अदालत ने प्रयागराज में घरों को गिराए जाने को अमानवीय और अवैध बताते हुए शहरी विकास प्राधिकरण को प्रत्येक पीड़ित घर के मालिक को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घटी उस घटना को तंत्र की संवेदनहीनता बताया जिसमें बुलडोजर द्वारा झोपड़ी गिराए जाने पर एक बालिका अपनी किताबें पकड़कर भाग रही थी। अदालत का कहना था कि तसवीर देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। साथ ही अधिकारियों की मनमानी और असंवेदशीलता को उजागर करती है। कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को खुद की स्थिति को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिए बिना बुलडोजर से उनके मकान या झोपड़ियों को ध्वस्त करना अन्याय जैसा ही है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन का इरादा अनधिकृत निर्माण को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें सबक सिखाना लगता है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में शासन–प्रशासन कथित 'तत्काल न्याय' के बुलडोजर मॉडल को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इस विवादास्पद कार्रवाई का बचाव करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कभी–कभी कुछ लोगों को उनकी समझ में आने वाली 'भाषा' में चीजों को समझाने की जरूरत होती है। जिसके मायने यह भी हैं कि ऐसे तत्वों को अदालतों द्वारा उन्हें दोषी या निर्दोष ठहराये जाने का इंतजार किए बिना ही दंडित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते साल नवंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर के लगातार इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये कई दिशा–निर्देश दिए थे। इसमें मकान आदि के ध्वस्तीकरण से पंद्रह दिन पहले कब्जाधारियों को सचेत करना भी शामिल था। अदालत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि निर्देशों का अतिक्रमण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं आया। इसमें दो राय नहीं कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य–सहिष्णुता का नजरिया जरूरी है। अवैध निर्माण हटाया जाना चाहिए, लेकिन सभी कायदे–कानूनों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अदालत मानती रही है कि जल्दबाजी में बुलडोजर का इस्तेमाल असंवैधानिक है और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। प्रयागराज व महाराष्ट्र में कई जगह लोगों ने आरोप लगाया कि नोटिस देने के चौबीस घंटों में ही उनके मकान गिरा दिए गए। ऐसी ही कार्रवाई नागपुर हिंसा के बाद आरोपियों के घर गिराने में की गई। कहा गया कि लोगों को अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया। वैसे यह नैसर्गिक न्याय की अवहेलना है कि एक कथित दोषी के कृत्यों की सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है। उस घर में उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। यह विडंबना है कि नागपुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बैंच ने आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगायी थी, लेकिन जब तक आदेश पहुंचा तब तक स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर चुका था। वैसे हकीकत यह भी है कि कोई अवैध निर्माण रातोंरात खड़ा नहीं हो जाता। जब उसका निर्माण होता है तो स्थानीय प्रशासन की नजर उस पर क्यों नहीं जाती। एकाएक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो जाती है कि उसे गिराने की तत्काल जरूरत पड़ती है। फिर तुरत–फुरत बुलडोजर चल जाता है। सवाल यह भी कि हर छोटे–बड़े, धनाढ्य वर्ग, प्रभावशाली नेताओं के अवैध निर्माण पर पीला पंजा क्यों नहीं चलता? निस्संदेह, बुलडोजर की गति राजाश्रय के संरक्षण में ही तेज होती है।

लोकतंत्र की आत्मा है अभिव्यक्तिकी आजादी

विश्वनाथ सचदेव

एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा चर्चा में है और इसे एक विडंबना ही कहा जायेगा कि इस बार यह मुद्दा एक कॉमेडियन की प्रस्तुति को लेकर उठा है। मैं बात कुणाल कामरा के उस कार्यक्रम की कर रहा हूं जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के एक राजनेता को 'गद्दार' कहा था। यह पहली बार नहीं है जब उक्त नेता को किसी ने इस विशेषण से जोड़ा है। उक्त नेताजी के पुराने साथी, जिन्हें त्याग कर उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनायी थी, अक्सर उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते रहे हैं। पर नेताजी के अनुयायियों ने अब अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की हैकृउसे पहले नहीं देखा गया था। जहां तक कॉमेडियन की बात है, मुझे आपत्ति किसी को गद्दार कहने से नहीं है। कोई भी 'मेरी नजर से देखो' का वास्ता देकर किसी पर इस तरह का आरोप लगा सकता है, पर मुझे उन गालियों से आपत्ति है जो कॉमेडियन अपने कार्यक्रम में काम में लेते हैं। यह भाषा किसी सभ्य समाज की नहीं होनी चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि व्यंग्य सार्थक भी तभी होता है जब, जिसपर व्यंग्य किया गया है, वह तिल मिलाकर रह जाये, और अपने आप को कुछ करने की स्थिति में भी नहीं पाये! बहरहाल, इस सबके बावजूद मैं कॉमेडियन के अपनी बात कहने के अधिकार का समर्थन करूंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। यहीं इस बात

को भी रेखांकित किया जाना जरूरी है कि यह अधिकार असीमित नहीं है। हमारा संविधान इस अधिकार पर 'उचित प्रतिबंध' की बात भी करता है। जहां एक ओर इस अधिकार का उपयोग करने वाले से विवेकशील होने की अपेक्षा की जाती है। वहीं सरकार को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रीय हितों को देखते हुए उचित प्रबंध लगाये। हां, यह बात भी सही है कि अक्सर सरकारें अपने इस अधिकार का गलत उपयोग करने लगती हैं। अक्सर हम यह भी देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरों की दुहाई देकर जनतंत्र के इस महत्वपूर्ण हथियार को भोथरा करने की कोशिशें होती हैं। पचास साल पहले जब देश में आपातकाल घोषित किया गया था तो तब की सरकार ने ऐसी ही एक कोशिश की थी। यहीं यह बताना भी जरूरी है कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को स्वीकारा भी था कि सेंसरशिप के कारण उन तक सही और पूरी जानकारी नहीं पहुंच पायी थी और वे उचित कदम नहीं उठा पायीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। जनतांत्रिक व्यवस्था में जहां यह अधिकार जनता को एक हथियार देता है वहीं संबंधित सरकार को भी अपना कर्तव्य निभाने में सहायता कर सकता है। इस अधिकार का अभाव या हनन, दोनों, जनतंत्र को कमजोर बनाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पत्रकार को दिये गये इंटरव्यू में आलोचना को 'जनतंत्र की आत्मा' कहा था। तब उन्होंने यह भी कहा था कि 'आज के जमाने में सही और तीखी आलोचना दिखाई नहीं देती।' इसी इंटरव्यू में उन्होंने भारत में आलोचना की शानदार परंपरा का भी उल्लेख किया था। 'निंदक नियरे राखिए' वाले कबीर को भी याद किया था। अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने आलोचना और आरोप में अंतर समझाने की भी कोशिश की थी। यह बात दिलासा देने वाली है। पर अपने एक दशक से अधिक के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने आलोचना के द्वार को ही जैसे बंद कर रखा है। पत्रकारों, रचनाकारों के प्रति एक आदरभाव की अपेक्षा करती है जनतांत्रिक व्यवस्था। यदि रचनाकार, पत्रकार, व्यंग्यकार आलोचना करते हैं तो व्यवस्था का दायित्व बनता है कि वह इसे सकारात्मक दृष्टि से समझे–स्वीकारे। यहां, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाना चाहिए। जब उन्हें यह लगा कि उनकी समुचित और सार्थक आलोचना नहीं हो रही तो उन्होंने छद्म नाम से स्वयं अपनी आलोचना करके जनतांत्रिक तौर–तरीकों का जैसे रास्ता दिखाया था। यही नहीं, उस जमाने के जाने–माने वरिष्ठ कार्टूनिस्ट शंकर को एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने कहा था, 'शंकर, मुझे भी मत बख्शना।' नेहरू का यह दृष्टिकोण और कथन जनतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के सम्मान का एक उदाहरण है। इतिहास साक्षी है कि कार्टूनिस्ट शंकर ने, और उसके बाद आर.के. लक्ष्मण ने अपनी कृतियों में सकारात्मक आलोचना के ढेरों उदाहरण प्रस्तुत किये थे। एक और कार्टूनिस्ट थे 'काक'। उनके कार्टून भी सत्ता की तीखी आलोचना करने वाले हुआ करते थे। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। यहां व्यंग्यकार शरद जोशी को याद करना भी जरूरी है। शासन को सही राह पर लाने की एक सार्थक कोशिश हुआ करता था उनका लेखन। उनके व्यंग्य हंसाते भी थे, और तिलमिलाते भी थे। यहीं यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इन और ऐसे आलोचकों को उचित प्रतिसाद देना शासन और समाज दोनों का कर्तव्य है। जनतांत्रिक व्यवस्था मात्र शासन–व्यवस्था नहीं है, यह एक जीवन–पद्धति है। इस व्यवस्था में सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य बनता है कि वे कर्तव्यनिष्ठा और जागरूकता का निरंतर उदाहरण प्रस्तुत करें। इसी प्रक्रिया का हिस्सा आलोचना को सम्मान देना है। इसी सम्मान का प्रतीक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यहां दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस कर्तव्य की याद दिलाती है जो 'उचित प्रतिबंध' के माध्यम से जनता को निभाना होता है। कर्तव्य और अधिकार का यह अनोखा संतुलन हमारे जनतंत्र को एक विशिष्टता देता है। इसी विशिष्टता का तकाजा है कि शासन और समाज, दोनों, आलोचना के प्रति जागरूक भी रहें और उसका सम्मान भी करें। जहां तक कुणाल कामरा के मामले का सवाल है, इसे सिर्फ एक घटना मात्रा मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। असहिष्णुता का यह उदाहरण हमें यह भी याद दिलाता है कि यह अपनी तरह का अकेला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी पत्रकारों–कलाकारों–रचनाकारों के प्रति इस तरह का व्यवहार होता रहा है। जनतंत्र की आत्मा का तकाजा है कि यह व्यवहार बंद हो। कुछ ही दिन पहले एक प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी में कहा था कि कलाकार, साहित्यकार का (अभिव्यक्ति की आजादी) अधिकार इस आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता कि उनकी अभिव्यक्ति कितनी लोकप्रिय है। विचार का मुकाबला विचार से ही होना चाहिए। इसी टिप्पणी में आगे यह भी कहा गया कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं हो गया है कि किसी कविता या कॉमेडी से समाज में आपसी शत्रुता अथवा घृणा फैले। यह कहना कि किसी कला या कामेडी या व्यंग्य से नफरत फैल सकती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नकारने जैसा होगा। न्यायालय के इस कथन को समझने और याद रखने की आवश्यकता है। आलोचना शासक को अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जागरूक बनाने के लिए होती है। जनतंत्र की इस आत्मा की रक्षा जरूरी है।

राजनीतिक इच्छाशक्तिकी कमी से संकट बरकरार

ज्ञानेन्द्र रावत

बीते दिनों महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा की स्वच्छता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश की कोई नदी ऐसी नहीं है जो स्वच्छ हो और प्रदूषण मुक्त हो। विडम्बना यह है कि इसके बावजूद हम उन्हें स्वच्छ रखने में असफल रहे हैं। गौरतलब है कि गंगा की सफाई का जिम्मा केन्द्र सरकार के सात मंत्रालयों पर है, लेकिन हकीकत यह है कि गंगा अपने मायके से ही प्रदूषित हो रही है। उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि गंगा कई स्थानों पर जल शोधन संयंत्र से छोड़े गए पानी से ही प्रदूषित है। एनजीटी को भी इस बारे में जानकारी है। यह स्थिति केवल गंगा की नहीं, बल्कि देश की दूसरी नदियों की भी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गंगा और यमुना जैसी नदियां कई दशकों से प्रदूषित हैं। परिणामस्वरूप, जलीय जीव संकट में हैं और मानव स्वास्थ्य भी गंभीर खतरे में है। अनियोजित शहरीकरण, बढ़ती आबादी और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है, साथ ही यह भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर रहा है। विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार, घरों, फैक्टरियों और संस्थानों से निकलने वाला 72 फीसदी गंदा पानी सीधे नदियों और झीलों में जा रहा है, जिससे पेयजल और अन्य उपयोग के लिए पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों में रोजाना 1100 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज गिर रहा है। राज्य में गंगा किनारे बसे जिलों के 225 नाले सीधे नदियों में मिल रहे हैं, जबकि केवल 101 नाले एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जुड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली की जीवन रेखा यमुना हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी गंदे नाले से भी बदतर हालत में है। उसका पानी न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि वह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। मौजूदा स्थिति यह है कि नई भाजपा सरकार नये संकल्प और यमुना सफाई के नये एजेंडे के साथ यमुना के पुनरुद्धार और कायाकल्प में जुटी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली के 16 औद्योगिक क्षेत्रों में एसटीपी की कमी पर हैरानी जताई है और कहा है कि यमुना में बिना

ट्रीटमेंट के अपशिष्ट पदार्थ खुलेआम गिराए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि यहां एक–तिहाई क्षमता से एसटीपी काम कर रहे हैं और 11 क्लस्टरों के लिए प्लांट ही नहीं हैं। इसके लिए एसटीपी की क्षमता तीन गुना बढ़ानी होगी और निगरानी तंत्र को चौकस करना होगा, तभी कोई बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यमुना में प्रदूषण के लिए 60 फीसदी जिम्मेदार नजफगढ़ नाले को मानती है। असलियत यह है कि यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि दिल्ली के अंदर और सीमा पर भी उसका जल नहाने लायक नहीं है। आंकड़ों के अनुसार, एक समय देश में करीब 15,000 छोटी–बड़ी नदियां थीं, जिनमें से 30 फीसदी से ज्यादा आज सूख चुकी हैं। 4500 से ज्यादा छोटी या मंझोली नदियां केवल बारिश के दिनों में बहती हैं, और बाकी आठ–नौ महीनों में वे मृतप्राय रहती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना में बरसात के दिनों में भले जलस्तर बढ़ा रहता है, लेकिन बाकी आठ–नौ महीनों में इसका जलस्तर काफी कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। यही हालत देश के अन्य राज्यों की छोटी–बड़ी नदियों की है, जहां की नदियों के साथ–साथ झीलों का जलस्तर भी कम हो गया है। उत्तराखंड में पर्यटन के लिए विख्यात नैनीताल की झीलें इसकी जीती–जागती मिसाल हैं, जिनका जलस्तर कम हो रहा है। मध्य भारत की गंगा कहलाने वाली पौराणिक नदी बेतवा की बात करें तो उसके उद्गम स्थल ही सिमट गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 में बेतवा के उद्गम स्थल में जल गंगा संवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन उसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सवाल यह है कि देश की नदियां साफ क्यों नहीं हो पा रही हैं। इस मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि इसमें सीवेज सिस्टम की खामी अहम कारण है। असलियत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सीवेज सिस्टम में सुधार में नाकामी के कारण सीवेज का गंदा पानी सीधे नदियों में गिरकर उन्हें विषाक्त कर रहा है। इसके लिए उन शहरों के नगर निकाय पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हालात यह हैं कि कहीं शोधन संयंत्र देखभाल के अभाव में खराब पड़े हैं, कहीं उनकी शोधन क्षमता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कहीं जरूरत के मुताबिक उनकी तादाद बहुत कम है, और कहीं बिजली आपूर्ति समय पर न होने के कारण वे पूरे समय काम नहीं कर पाते। कहीं–कहीं शोधन संयंत्रों से गंदे नाले जोड़े ही नहीं गए हैं, नतीजतन वे सीधे नदियों में गिर रहे हैं। हकीकत में सरकारें और नगर निकाय औद्योगिक रसायनयुक्त अपशिष्ट सीधे नालों या नदियों में गिरने से रोकने में नाकाम हैं। दुखद यह है कि इसके पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव मुख्य कारण है। इसमें दो राय नहीं कि यदि नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना है तो लॉकडाउन जैसी सख्ती बरतनी होगी, तभी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

आसान नहीं है डगर तीसरे टर्म की

राजेंद्र शर्मा

बेशक, लोकसभा चुनाव में लगे धक्के से, जिसमें चार सौ पार के नारों से भाजपा, साधारण बहुमत से काफी नीचे, सिर्फ दो सौ चालीस सीटों पर आ टिकी थी, उसके बाद हुए विधानसभाई चुनावों में जीत जुगाड़ने के जरिए, भाजपा कम से कम मानसिक रूप से काफी हद तक उबरने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से हुए प्रमुख विधानसभाई चुनावों में दिल्ली से पहले तक भाजपा, वैसे तो हरियाणा तथा महाराष्ट्र की दो विधानसभाओं में ही जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी, जबकि झारखंड तथा जम्मू–कश्मीर में, अपनी सारी कोशिशों के बावजूद उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बावजूद, इन दो जीतों के सहारे ही भाजपा ने, जिसे अपने मनमुताबिक आख्यान गढ़ने तथा मीडिया पर अपने नियंत्रण के जरिए उसे चलाने में खास महारत हासिल है, सफलता के साथ यह माहौल बना दिया था कि लोकसभा चुनाव तो एक विचलन था और आमतौर पर जनता फिर से भाजपा के पीछे गोलबंद हो चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद से, यह छवि और भी मजबूत हुई है कि मोदी के नेतृत्व में संघ–भाजपा जोड़ी ही चुनावी अजेयता फिर से लौट आई है और यहां से आगे मोदी राज की जीत ही जीत है। सिर्फ चुनावी जीत ही नहीं, आम तौर पर राजनीतिक जीत भी। उनके इसी भरोसे की अभिव्यक्ति, मोदी राज के तेजी से ऐसे कदमों के रास्ते पर बढ़ने में होती है, जो सबसे बढ़कर आरएसएस के बहुसंख्यकों के अपने पक्ष में सुदृढ़ीकरण और बढ़ते हिंदू–मुस्लिम ध्रुवीकरण के एजेंडे की ओर ले जाते हैं। बेशक, यह किन्हीं खास कदमों का या आरएसएस द्वारा उठायी गयी खास मांगों तक ही सीमित सवाल नहीं है। मोदी राज के तीसरे कार्यकाल के करीब ग्यारह महीनों में खासतौर पर भाजपायी राज्य सरकारों के सहारे, हर साधारण से साधारण मुद्दे का सांप्रदायिक गोलबंदी के हथियार में तब्दील किया जाना, इस देश ने देखा है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल को, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए एक और अयोध्या में तब्दील किया जाना भी शामिल है। इसमें महाकुंभ का ही नहीं, होली–ईद आदि सब का खुल्लमखुल्ला सांप्रदायीकरण भी शामिल है और भाजपा–शासित राज्यों में खासतौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुल्लमखुल्ला भेदभाव भी। जाहिर है कि आरएसएस के पुराने एजेंडे के अनुरूप, समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू कर, आगे बढ़ाया जाना भी इसमें शामिल है। इसी के हिस्से के तौर पर, संघ–भाजपा ने वक्फ संशोधन विधेयक का खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक हथियार गढ़ा और आगे कर दिया। बहरहाल, तभी इस मुद्दे पर वर्तमान मोदी सरकार के समर्थन की सीमाएं सामने आ गईं। जहां लोकसभा में इस विधेयक के पेश किए जाने के बाद, उसे न सिर्फ धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों के मुखर विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं खुद सत्ताधारी एनडीए में शामिल तेलुगू देशम तथा जनता दल–यूनाइटेड जैसी पार्टियों के प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष विरोध का भी सामना करना पड़ाय ये पार्टियां संघ–भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे का ज्यों का त्यों अनुमोदन करने में असुविधा महसूस कर रही थीं। इसी का नतीजा था कि एक दुर्लभ पैंतरा अपनाते हुए, मोदी राज को इस विधेयक का संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा जाना स्वीकार करना पड़ा, ताकि इस पर विभिन्न पक्षों की और विस्तार से राय ली जा सके। यह एक प्रकार से इस विधेयक के ठंडे बस्ते में डाले जाने का ही पैंतरा था और उसे आम तौर पर उसी रूप में देखा जा रहा था। लेकिन, संभवतः इसी बीच हासिल हुई प्रभावी जीतों से बढ़े हुए आत्मविश्वास के चलते, संघ–भाजपा राज ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष में उसके पक्के एजेंडे को आगे बढ़ाने के जरिए अपनी वफादारी दिखाने के लिए, इस विधेयक को ठंडे बस्ते से बाहर निकाल लिया है। अब इस विधेयक को दोबारा लोकसभा में आगे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन, इसी बीच सामने आए घटनाक्रम ने, इस विधेयक के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के पुनर्जीवित किए जाने की सुगबुगाहट होने के बाद से, धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पाघ्टयों ने और भी दृढ़ता तथा स्पष्टता के साथ इसके खिलाफ आवाज तो उठायी ही है, इसके खिलाफ खुद मुस्लिम समुदाय भी एक स्वर से विरोध करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। यहां तक कि इस बार रमजान–ईद के मौके पर, करोड़ों मुसलमानों ने काली पट्टियां बांधकर, इसके खिलाफ शांतिपूर्ण किंतु विराट सार्वजनिक प्रदर्शन किए हैं। इस सब का नतीजा यह हुआ कि एनडीए में भाजपा के, खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने वाले सहयोगियों को संघ–भाजपा को परोक्ष रूप से यह संदेश देना पड़ा है कि इस मामले में उनके समर्थन को जेब में मानकर नहीं चला जाना चाहिए। जहां बिहार में, एक प्रमुख मुस्लिम मंच ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार की घोषणा कर, उस राज्य में नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा दिया, जहां अगले छरू महीने के अंदर–अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। इस दबाव से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने किस तरह, संबंधित मुस्लिम मंच के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई और मुसलमानों के प्रति अपनी वफादारी के आम प्रदर्शन के दुहरे हथियार आजमाए हैं, इसकी चर्चा हम किसी और मौके पर करेंगे। यहां इतना कहना ही काफी है कि इस पूरे घटनाक्रम ने नीतीश कुमार को मुसलमानों के बीच अपनी छवि को, संघ–भाजपा से अलगाने के प्रति सचेत कर दिया है। उधर चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में आयोजित एक इफ्तारी के मंच का उपयोग, मुसलमानों को इसका भरोसा दिलाने के लिए किया कि, उनकी सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की अपनी वचनबद्धता पर कायम है और रहेगी। वक्फ विधेयक विवाद की पृष्ठभूमि में उन्होंने खासतौर पर जोर देकर कहा कि मुसलमानों की जमीनों, परिसंपत्तियों पर किसी को भी बुरी नजर डालने इजाजत नहीं दी जाएगी।

करदाताओं से होगी रिकवरी, नोटिस देने के आदेश

संवाददाता

रेवाड़ी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने उन सभी करदाताओं को नोटिस देने के आदेश दिए हैं, जिनकी रिकवरी बकाया है। साथ ही नोटिस के माध्यम से हिदायत भी दी जाएगी, ताकि करदाता ओटीएस 2 के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत करें। करदाताओं को नोटिस में वास्तविक बकाया राशि से अवगत कराए जाने को भी कहा है। इससे करदाताओं को यह जानकारी मिल पाएगी कि कितनी राशि बकाया है और उसे कब तक देना है। जिले में अनुमानित ऐसे करीब 4 हजार के आसपास करदाता हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने इसे लेकर 7 विभिन्न अधिनियमों के तहत बकाया राशि के एकमुश्त निपटान योजना के संबंध में एक बैठक भी बुलाई। इस दौरान विभिन्न

व्यापार संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों, कर बार एसोसिएशन, सीए, लेखाकारों और विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को ओटीएस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बार प्रतिनिधियों की ओटीएस 2 से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का जवाब दिया, जिससे लोग संतुष्ट नजर आए। बैठक के दौरान आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा ने विभाग की माल एवं सेवा कर और आबकारी शाखा के कार्य की समीक्षा की।

व्यापारियों की समस्या दूर करने का दिया आश्वासन

सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह को व्यापारिक समुदाय ने अपने दिन प्रतिदिन के व्यावसायिक अनुभवों को साझा किया। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने उन सभी मुद्दों के निवारण का आश्वासन दिया। कुछ मुद्दों को जीएसटी काउंसिल के सामने उठाने का आश्वासन दिया। आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा ने विभाग की माल एवं सेवा कर और आबकारी शाखा के कार्य की समीक्षा की। आबकारी व कराधान आयुक्त ने कर भवन रेवाड़ी में एक पौधा भी लगाया।

सीएनजी सिलिंडर में रिसाव, बच गया बड़ा हादसा

संवाददाता

जींद। सफीदों मार्ग पर सीएनजी सिलिंडर से भरे टैंकर में एक सिलिंडर में रिसाव हो गया। चालक ने समझदारी दिखाते हुए टैंकर को बीच सड़क पर रोककर अस्थायी रूप से रिसाव को बंद किया। इससे दुर्घटना होने से बच गई। मामले के दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी–लंबी लाइनें लग गई। गनीमत रही कि सीएनजी आग के संपर्क में नहीं आई।खापड़ निवासी प्रदीप वीरवार सुबह सफीदों के पास स्थित गांव जयपुर से टैंकर में सीएनजी रीफिल कराकर लौट रहा था। निर्जन गांव के पास अचानक उसे गैस रिसाव की दुर्गंधा महसूस हुई। तुरंत ही उसने टैंकर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और चेकिंग शुरू की। जांच में पता चला कि एक सिलिंडर की पाइप निकल गई थी और उसमें से गैस तेजी से लीक हो रही थी। गैस लीक सूचना पर आसपास में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सड़क पर लंबा जाम लग गया। चालक ने अस्थायी व्यवस्था कर पाइप को जाम कर दिया। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों को वहां से हटाया गया। साथ ही वाहनों को दूसरे वैकल्पिक रास्तों से निकाला गया। सुरक्षा उपायों के जरिये रिसाव वाले सिलिंडर की गैस सप्लाई बंद की गई और उसे अलग किया गया। टैंकर में 50 से अधिक सीएनजी सिलिंडर भरे हुए थे। यदि गैस आग के संपर्क में आ जाती या सिलिंडर फट जाता तो भारी जान–माल की हानि हो सकती थी। प्रशासन की तत्परता और चालक की समझदारी से बड़ा हादसा होने से टल गया।

अर्जीनवीस एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

संवाददाता

गोहाना। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) करनाल की टीम ने गोहाना में अर्जीनवीस को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अर्जीनवीस ने अधिकारी से मिलकर प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में थाना एसीबी रोहतक में केस दर्ज किया गया है। गोहाना के गांव निवासी व्यक्ति ने एसीबी करनाल में शिकायत दी कि उन्होंने गांव खंदराई के निकट 667 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा है। प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए गोहाना के अर्जीनवीस राजीव कुमार उर्फ यशपाल मल्होत्रा ने नायब तहसीलदार अभिमन्यु के कहने पर उनसे एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की है। जिस पर एसीबी करनाल की टीम का गठन किया गया। टीम वीरवार को गोहाना पहुंची। शिकायतकर्ता ने यशपाल मल्होत्रा को एक लाख रुपये दिए तो टीम ने उसे रंगे हाथ काबू कर लिया। इस दौरान नायब तहसीलदार भाग गया। इस संबंध में थाना एसीबी रोहतक में केस दर्ज किया गया। मामले में नायब तहसीलदार अभिमन्यु की तलाश की जा रही है।

सीआईए के साथ एसीपी स्तर के अधिकारी भी जांच में लगे, साइबर की मदद ली जा रही

संवाददाता

सोनीपत। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई में स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में फूलों के बीच उगाई गई अफीम के मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीआईए की टीम के साथ एसीपी स्तर के अधिकारी व साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है। मामले में विवि के कुछ कर्मियों को जांच में शामिल किया गया है। हालांकि पुलिस ने नाम उजागर नहीं किए हैं। सीआईए–1 में नियुक्त एएसआई सुरेंद्र की टीम ने 28 मार्च को राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में अफीम के पौधे उगाने का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने माली उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव मेघमऊ निवासी संतलाल को गिरफ्तार कर 400 पौधे बरामद किए थे। रिमांड के दौरान विवि के सुपरवाइजर यूपी के कन्नौज निवासी धर्मेंद्र मिश्रा का नाम सामने आया था। उसकी तलाश को पुलिस दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि अब विवि के कुछ अन्य कर्मचारियों को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। दो टीम लगातार आरोपी धर्मेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए दबिश में लगी है। वहीं मामले में एसीपी स्तर के अधिकारी भी पूरी तरह निगरानी कर रहे है। पुलिस टीम उनसे हर संभव मदद ले रही है। वहीं सीआईए प्रभारी के साथ साइबर की टीम की भी मामले में मदद ली जा रही है। साइबर की टीम आरोपियों के बारे में सबूत जुटा रही है।

कुलसचिव ने किया विश्वविद्यालय के भवन का निरीक्षण

संवाददाता

रेवाड़ी। मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर दिलबाग सिंह ने राव तुलाराम भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों की सफाई एवं प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जल व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने विद्यार्थियों और उपस्थित शिक्षक स्टाफ विशेष रूप से महिला शिक्षकों से उनकी परेशानी के बारे में जाना और उनके जल्द से जल्द समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

विविध/मनोरंजन

रवीना टंडन का मामा था सिनेमा का ये खतरनाक विलेन

बॉलीवुड में कुछ फिल्मी परिवारों का जिक्र अक्सर होता है। कई पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस के परिवार के

सदस्य का भी इंडस्ट्री से गहरा नाता रहता है। 70 से 80 के दशक में लीड एक्टर की तरह विलेन के किरदार की भी चर्चा होती थी। आज के समय में बॉबी देओल, अर्जुन कपूर और सैफ अली खान जैसे स्टार्स बड़े पर्दे पर खलनायक का किरदार निभा चुके हैं। आज बात एक ऐसे पॉपुलर विलेन की कर रहे हैं, जो रिश्ते में रवीना टंडन के मामा लगते थे। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रवीना टंडन किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस की बेटी राशा थडानी ने अमन देवगन के साथ आजाद फिल्म से डेब्यू किया। फिल्म के गाने को बेशुमार प्यार मिला, लेकिन मूवी ओटीटी पर हिट साबित नहीं हो पाई। सिनेमा लवर्स जानते होंगे कि रवीना के मामा बड़े पर्दे पर एक खुंखार विलेन के किरदार की भूमिका निभा चुके हैं। कई बिग स्टारर फिल्म में उनकी एक्टिंग का टैलेंट देखने को मिला है। मैक मोहन का नाम सुनते ही उनके करियर की कुछ हिट फिल्मों का नाम याद आ जाता है। अभिनेता का जन्म 1938 में कराची (तब भारत का हिस्सा) में हुआ था। उनका असली नाम मोहन मखीजानी था, लेकिन दोस्तों और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग उन्हें प्यार से मैक मोहन के नाम से बुलाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें क्रिकेट का शौक था और इस सपने को पूरा करने के लिए वह मुंबई आए थे। मैक मोहन के बारे में बता दें कि मुंबई आने के बाद क्रिकेट के साथ उनकी रुचि थिएटर में भी बढ़ गई थी। एक नाटक के दौरान थिएटर कलाकार शौकत कैफी ने उनके अंदर के टैलेंट को पहचाना और उन्हें एक्टिंग में लक आजमाने की सलाह दी। धीरे–धीरे उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था। बॉलीवुड की सदाबहार फिल्मों का जिक्र होता है, तो शोले का नाम जरूर लिया जाता है। रमेश सिप्पी की इस मूवी से जुड़े कुछ रोचक किस्से भी अक्सर सुनने को मिलते हैं। मैक मोहन इस फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आए थे। वैसे तो अभिनेता 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन उनकी असली पहचान साल 1975 में आई शोले फिल्म बन गई। इसमें उन्होंने सांभा का किरदार निभाया, जो कम डायलॉग होने के बाद भी लोगों के दिलों में बस गया। हिंदी सिनेमा में लगभग पांच दशक तक बेहतरीन काम करने के बाद साल 2010 में कैंसर के कारण मैक मोहन का निधन हो गया। 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्मों का जिक्र आज भी सिनेमा लवर्स के बीच चलता है।

मुमताज के दामाद पर लगा फ्लॉप एक्टर का कलंक, 27 साल के करियर में बॉक्स ऑफिस पर दे पाया है सिर्फ 3 हिट

सेलेब्स के किड्स और फैमिली के मेंबर्स अक्सर फिल्मी गलियारे में चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसको लेकर हम एक सीरीज चला रहे हैं और हर रोज आपको किसी न किसी फिल्मी सितारे के बारे में बताते हैं। आज के इस लेख में हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस मुमताज के दामाद के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, जोकि बॉलीवुड का एक फेमस एक्टर है। लेकिन हैरान वाली बात ये है कि मुमताज का दामाद 27 सालों के एक्टिंग करियर में बॉक्स ऑफिस पर वह महज 3 हिट फिल्में दे पाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो एक्टर कौन सा है। नेपो किड्स को लेकर बॉलीवुड हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जिसकी वजह से नेपोटिज्म का मुद्दा भी काफी बार गर्माया है। कुछ स्टार किड्स इसमें सफल रहते हैं और कुछ फैमिली के स्टारडम का कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं और असफल रहते हैं। ऐसा ही हाल मुमताज की बेटी नाताशा मधवानी से शादी रचाने वाले एक्टर फरदीन खान का है। फरदीन हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर रहे फिरोज खान के बेटे हैं। लेकिन वह न तो अपने पिता की तरह और न ही अपने सासू मां की तरह फिल्मी जगत में शोहरत हासिल कर पाए हैं। 1998 में आई प्रेम अगन से अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था, इस तरह से वह बॉलीवुड में जल्द ही 3 दशक का सफर भी पूरा कर लेंगे। इन मूवीज के अलावा वह जंगल, प्यार तूने क्या किया, जानसीन, फिदा, जय वीरू और खेल खेल में जैसी फिल्मों में दिखाई दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। साल 2005 में फरदीन खान ने मुमताज की बेटी नताशा के साथ शादी रचाई थी। लेकिन, कुछ सालों बाद इनके रिश्ते में अनबन शुरू हो गई और नौबत तलाक तक आ पहुंची थी। हालांकि, अभी इन दोनों का ऑफिशियल तलाक नहीं हुआ है, पर लंबे समय से फरदीन और नताशा एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। बता दें कि इस कपल की एक बेटी भी है, जिसका नाम डियानी इसाबेल खान है।

नवरात्रि में जरूर सजे सुहागन महिला

वैसे तो स्त्रियों को हर तीज–त्योहार पर श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है, पर नवरात्रि में इसका खास महत्व है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन मौके पर देवी दुर्गा की आराधना साथ– साथ घर की महिलाओं को सोलह श्रृंगार भी करना चाहिए।

नवरात्रि में 16 श्रृंगार का महत्व

16 श्रृंगार करने से देवी मां की कृपा बनी रहती है। यह सुहागन महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। श्रृंगार से महिलाओं में आत्मविश्वास आता है और वे अधिक सकारात्मक महसूस करती हैं। देवी–आराधना में सुहागिन स्त्रियों का पूर्ण श्रृंगार करना शुभ माना गया है।

16 श्रृंगार में क्या–क्या आता है?

लाल जोड़ा

नवरात्रि में माता का आर्शीवाद पाने के लिए आप लाल रंग के कपड़े पहनें। इसे सोलह श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है। भूलकर भी इन दिनों काले रंग के वस्त्र ना पहनें।

बिंदी

माथे पर बिंदी लगाने से चंद्र ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है।

सिंदूर

विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण है, जो अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का प्रतीक होता है।

मंगलसूत्र

यह पति–पत्नी के अटूट प्रेम और बंधन का प्रतीक है।

काजल

आंखों में काजल लगाने से बुरी नजर से बचाव होता है और आंखें सुंदर दिखती हैं।

नथ (नाक की बाली)

यह सुंदरता का प्रतीक है और इसे नारीत्व की निशानी माना जाता है।

कान के झुमके या बाली

यह चेहरे की शोभा बढ़ाता है और महिलाओं के श्रृंगार का एक अहम हिस्सा है।

गहने

सोने या चांदी के गहने पहनना शुभ माना जाता है, यह धन और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है।

चूड़ियां

कांच या सोने की चूड़ियां पहनना सुहाग का प्रतीक होता है और यह नारीत्व की निशानी है।

बाजूबंद

इसे बांह पर पहना जाता है और यह राजसी श्रृंगार का हिस्सा होता है।

मेहंदी

हाथों में मेहंदी लगाने से सौभाग्य और खुशहाली आती है।

मांग टीका

माथे के बीचों–बीच पहने जाने वाला मांग टीका हर लड़की की सुंदरता में चार चांद लगा देता है।

कमरबंद

यह शरीर को सुडौल दिखाने के साथ–साथ महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगाता है।

पायल

यह नारीत्व और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है, इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

बिछिया (पैर की अंगुली में पहनी जाने वाली अंगूठी)

विवाहित महिलाओं के लिए इसे पहनना शुभ माना जाता है।

गजरा (फूलों का हार)

यह सुंदरता और खुशबू का प्रतीक है और इसे पहनने से मन प्रसन्न रहता है।

इन बातों का रखें ध्यान

पूजा के दौरान स्वच्छ वस्त्र और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। इन दिनों विवाहित महिलाएं सिंदूर और मंगलसूत्र अवश्य धारण करें, यह सुहाग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है।

नवरात्रि में गलती से बुझ जाए अखंड ज्योत तो डरे नहीं करें ये काम

नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना मां दुर्गा की कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि कई बार बहुत ज्यादा ध्यान देने के बावजूद भी अखंड ज्योति बुझ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ उपाय अपनाकर आप पुनः पूजन कर सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगेगा।

अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो करें ये उपाय

सबसे पहले माता रानी से मन ही मन क्षमा मांगें और पुनः श्रद्धा भाव से दीप प्रज्वलित करें। दीपक, ज्योत रखने का स्थान, और बाती को गंगाजल से छिड़ककर शुद्ध करें। इसके बाद "ऊँ दुं दुर्गायै नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें और दीपक फिर से जलाएं। माता रानी से अपने घर में पुनः दिव्य ऊर्जा बनाए रखने की प्रार्थना करें। कोई भी गलत विचार न रखें और पूजा–पाठ में पूरी श्रद्धा बनाए रखें। ध्यान रखें कि अखंड दीपक की बाती बदलने से पहले एक छोटा दीया जला लें, फिर अखंड दीपक में नई बाती और घी भर कर उसे फिर से जला सकते हैं। छोटे दीया को जलने दें, बुझने के बाद हटा लें।

अखंड ज्योत जलाते समय ध्यान रखने योग्य बातें

दीपक को ऐसी जगह रखें जहाँ हवा का सीधा प्रभाव न हो। मंदिर के दक्षिण–पूर्व दिशा (अग्नि कोण) में दीपक रखना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन सरसों के तेल का दीप भी जलाया जा सकता है। दीपक में पर्याप्त घी/तेल डालें ताकि बार–बार बुझने की समस्या न हो।

पत्रकारों ने प्रेस मान्यता के लिए पुराने दस्तावेज लागू करने की मांग की

पत्रकार मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के मीडिया कोआर्डिनेटर अशोक छाबड़ा से मिले

हरियाणाउत्सव,जींद (भंवर सिंह)

हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन के पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा से मिले। सीभी पत्रकार प्रदेश अध्यक्ष आरपी वशिष्ठ के नेतृत्व में पहुंचे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रेस मान्यता नवीनीकरण के दस्तावेजों में पूर्व की भांति सीए सर्टिफिकेट को स्वीकार्य करने की मांग की। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नई नीति लागू किए जाने से केवल छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को ही नुकसान उठाना पड़ा है जबकि इससे सरकार को कोई लाभ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नई नीति के कारण प्रदेश के 500

से ज्यादा स्थानीय अखबार व पत्रिका के संपादक और पत्रकार सरकार की मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची से बाहर हो जाएंगे। इसमें बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की है जो पिछले 20 से 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय से मान्यता प्राप्त पत्रकार है। उन्होंने कहा कि ऐसे पत्रकारों ने अपना संपूर्ण जीवन पत्रकारिता के लिए समर्पित कर दिया लेकिन सरकार की इस नई नीति के कारण उन्हें मान्यता प्राप्त पत्रकार की सूची से बाहर होना पड़ रहा है। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल में हवा सिंह चहल, अनिल खत्री, संदीप मलिक, धर्मवीर बंसल, जगबीर, घनश्याम जिंदल, संजीव मुंजाल, राधेश्याम वर्मा, मोहनलाल, हरीश, अनिल खत्री आदि मौजूद थे। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करते हुए अशोक छाबड़ा ने कहा कि सरकार किसी भी पत्रकार को अपने से दूर नहीं कर रही है लेकिन बदलते दौर में पत्रकारों को भी थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल मीडिया का युग है और आज सभी बड़े मीडिया समूह डिजिटल मीडिया की तरफ रुख कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें भी डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ना चाहिए। अशोक छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए अपनी पॉलिसी तैयार की है और उसे अनाउंस भी कर दिया है। अशोक छाबड़ा ने कहा कि पत्रकारों को पत्रकारिता धर्म निभाने के साथ–साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सरकार की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करें ताकि सरकार की नीति की जानकारी और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों द्वारा रखी गई समस्या के बारे में मुख्यमंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे की किसी भी पत्रकार का मान्यता प्राप्त पत्रकार की सूची से नाम बाहर ना हो।

23 अप्रैल को जींद जिले में पहुंचेगी साइकिल यात्रा

साइकिल यात्रा में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा उदय पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

हरियाणाउत्सव,जींद (भंवर सिंह)

अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने बताया कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश लेकर साइक्लोथॉन (साइकिल यात्रा) आगामी 23 अप्रैल को जिले में प्रवेश करेगी। यह यात्रा समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशामुक्त हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साइक्लोथॉन यात्रा में भाग लेने के लिए आमजन ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें उदय. हरियाणा.जीओवी.इन/एंटीड्रग. साइक्लोथॉन पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिले के ग्राम पंचायतों, कॉलेजों, स्कूलों, एनजीओ, विभिन्न एसोसिएशनों, नशा मुक्ति केंद्रों और सामाजिक संगठनों से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।

एडीसी ने बताया कि यह साइक्लोथॉन 23 अप्रैल को कैथल जिले से होते हुए जींद जिले में प्रवेश करेगी। जहां इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला वासियों से अनुरोध किया कि वे हरियाणा उदय पोर्टल पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।इस अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करना और युवाओं को एक स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करना है। स्थानीय युवाओं, छात्रों, खिलाड़ियों और सामाजिक.धार्मिक संस्थाओं को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा ताकि यह संदेश घर–घर तक पहुंचे और समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग मिले। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस जनहितकारी अभियान में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है।

जसवीर दोदवा बने डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों के प्रदेश कमेटी के सह संयोजक

हरियाणा उत्सव, गोहाना (भंवर सिंह)

भाजपा के सोनीपत जिले के पूर्व अध्यक्ष जसवीर दोदवा को पार्टी ने नई जिम्मेदारी सौंपी हैं। भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए भाजपा ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी में जसवीर दोदवा को सह संयोजक नियुक्त किया है।

जसवीर दोदवा ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रदेशभर में मनाई जाएगी। 13 से 25 अप्रेल तक अलग–अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को सफल बनाना हमारी मुख्य जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने जिम्मेदारी दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का आभार व्यक्त किया है। इससे पहले जसवीर दोदवा को जिलाअध्यक्ष की जिम्मेदारी रही है। संगठन और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रियता से कार्य करते हैं। जिसके चलते पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाएंगे।

नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद:नगराधीश डा0 अनमोल

हरियाणा उत्सव, सोनीपत

नगराधीश डॉ0 अनमोल ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वो किस परिसर में पढ़ रहे हैं एवं सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के लिए आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

सोनीपत नगर निगम की पहली बैठक में करीब 71 करोड़ 91 लाख रूपये के विकास कार्यो को मंजूरी

–सोनीपत के विकास कार्यों में आएगी तेजी:मेयर राजीव जैन

हरियाणा उत्सव, सोनीपत, (भंवर सिंह)

सोनीपत नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति की पहली बैठक का आयोजन किया। जिसमें करीब 71 करोड़ 91 लाख रूपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। विकास कार्यों में तेजी आएगी। बैठक की अध्यक्षता महापौर राजीव जैन ने की। अगली बैठक 7 अप्रैल को दोबारा होगी जिसमे बचे हुए एस्टीमेट पर चर्चा होगी। राजीव जैन ने बताया कि सभी वार्डों में सामान विकास की नीति पर अमल करते हुए हर वार्ड में विकास कार्यों की मंजूरी दी गई है। एजेंडा में शामिल सात कार्यों को सथगित किया गया है। जिनका मौका देखने के बाद पुनरू कमेटी की बैठक में रखा जायेगा। बैठक में आयुक्त हर्षित कुमार, सह आयुक्त नरेश कुमार, उपाध्यक्ष सुरेंद्र मदान, सीनियर डिप्टी मेयर राजीव सरोहा, पार्षद सुरेंद्र नैय्यर, कार्यकारी अभियंता विशाल गर्ग, पंकज सैनी, अजय निराला, उपमंडल अभियंता देवेंद्र, मुख्य अकाउंट अधिकारी संजय कुमार आदि मौजूद रहे।

जींद-सोनीपत रेलवे ट्रेक पर दौडेगी,भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

–110 किमी प्रति घंटा की स्पिड से दौडेगी हाइड्रोजन ट्रेन

हरियाणा उत्सव, गोहाना (भंवर सिंह)

भारत ने हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा क्षमता वाला हाइड्रोजन फ्यूल वाला ट्रेन इंजन बनाया है। अभीतक दूसरे देशों ने 500 से 600 हॉर्सपावर की क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेनें बनाई गई हैं। लेकिन भारत ने 1200 हॉर्सपावर की क्षमता वाला इंजन बनाया है। यह एक बड़ी सफलता है। यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनें में शामिल है। इस ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद से सोनीपत रेलवे ट्रेक पर किया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत और जींद जिले के वासी इसके साक्षी बनेंगे।

रेल मंत्रालय भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के जींद–सोनीपत ट्रेक पर इसी सप्ताह में इस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। यह ट्रेन कब जींद–सोनीपत ट्रेक पर दौडेगी कभी भी इसकी तारीख आ सकती है। यह ट्रेन जींद, गोहाना व सोनीपत के अलावा कई रेलवे स्टेशनों पर ठहराव करेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित ये ट्रेनें डीजल ट्रेनों के विपरीत इमिशन के रूप में सिर्फ वाटर और हीट जनरेट करती हैं। 110 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। यह ट्रेन 8 कोच वाली हाई–स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन 110 किमी/घंटा की गति से दौड़ेगी। एक बार में 2638 यात्रियों को सफर करवा सकती है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेनों के निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। जिसके अंतर्गत 35 ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है।

–गोहाना में कब पहुंचेगी हाइड्रोजन ट्रेन

यह ट्रेन गोहाना रेलवे स्टेशन पर कब पहुंचेगी? अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि इस ट्रेन का ट्रायल रेलवे के उच्च अधिकारियों की निगरानी में होगा। इसके लिए उच्च अधिकारयों की एक टीम बनाई गई है। हरियाणा के जींद–सोनीपत ट्रेक पर शुरू होने वाला यह ट्रायल भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेक करीब 89 किलोमीटर का है। ट्रेन की तकनीकी क्षमता, सुरक्षा मानकों और परिचालन दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। सफल परीक्षण के बाद इसे

नियमित संचालन में लाने की योजना है। यह ट्रेन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार की गई है।

हाइड्रोजन ट्रेन क्या है और कैसे काम करती हैं?

हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी रेलगाड़ी है जो हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक पर आधारित होती है। यह ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों का एक पर्यावरण–अनुकूल विकल्प है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर बिजली पैदा करती है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फ्यूल सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। जिससे बिजली पैदा होती है। यह बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रोसेस का एकमात्र उप–उत्पाद पानी है। जिसके कारण यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। हाइड्रोजन ट्रेनें मौजूदा रेल संसाधनों के साथ आसानी से काम कर सकती हैं। इन्हें डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक ऊर्जा–कुशल माना जाता है। यह तकनीक पर्यावरण को स्वच्छ रखती है। यह ट्रेन बिना शोर के चलती है। क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल इंजनों की तुलना में बहुत कम शोर पैदा करती हैं।

क्या है हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत?

उच्च क्षमता और रफ्तार

यह ट्रेन 1200 हॉर्सपावर की शक्ति के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक बार में यह 2638 यात्रियों को ले जा सकती है। जिस कारण बड़े पैमाने पर यात्री यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।

लंबी दूरी तय करने में सक्षम

8 कोच वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह लंबी दूरी के रूट्स पर भी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है, खासकर हेरिटेज और पहाड़ी मार्गों पर।

ऊर्जा दक्षता

हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक डीजल इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा–कुशल है। यह ट्रेन कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय कर सकती है, जिससे परिचालन लागत में कमी आती है।

स्वच्छ और शांत संचालन

हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल ट्रेनों की तुलना में बहुत कम शोर पैदा करती हैं, जिससे यात्रियों को एक शांत और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलता है।

नौकरियों में खाली पडे बैकलोग को भरने की मांग

–6 अप्रैल को जन जागृति यात्रा का गोहाना में होगा समापन

हरियाणा उत्सव, गोहाना (भंवर सिंह)

बहुजन समाज हित मंच हरियाणा संयोजक अजय भंभेवा ने कहा कि संविधान के द्वारा एससी व ओबीसी को मिले अधिकारों को पूर्णत लागू करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागृति यात्रा चली हुई है। 6 अप्रैल को गोहाना में समापन हो रहा है। यात्रा के माध्यम से हरियाणा के सभी गांव में घूमकर लोगों को जागरूक किया गया है। वह गांव आहुलाना में लोगों को समापन समारोह के लिए निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नौकरियों में खाली पडे बैकलोग को भरा जाना चाहिए। सरप्लस की जमीन को हमारे लोगों को दिया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए। गांव के हडवारों की जमीन पर एससी के लोगों को दिया जाना चाहिए। किसानों के लिए फसल का एमएसपी दिया जाना चाहिए। हरियाणा रोजगार कौशल निगम (एचकेआरएन) में आरक्षण लागू होना चाहिए। एचकेआरएन के माध्यम से हमारे लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। इस तरह 14 मांगों को लेकर पूरे हरियाणा में जन जागृति यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा 6 अप्रैल को गोहाना की खटीक धर्मशाला में समापन समारोह का आयोजन किया जाना है। जिसमें प्रदेशभर से समाज के लोग भारी संख्या में एकत्रित होंगे। समाज के गणमान्य लोग पहुंचेंगे।

मेरठ के बाद सोनीपत में साहिल की बर्बरताः तू पसंद नहीं, तुझे मार दूसरी शादी करूंगा

संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तरह ही हरियाणा के सोनीपत के गांव भैंसवान खुर्द में साहिल नाम के युवक की बर्बरता सामने आई है। यहां घरेलू कलह में साहिल ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। दंपती को दो माह पहले बेटा हुआ था। इसके बाद दोनों में कलह बढ़ गई थी। बुधवार आधी रात को वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाग गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दिल्ली के अलीपुर क्षेत्र स्थित गांव मुखबिलपुर निवासी सपना ने बरोदा थाना पुलिस को बताया है कि उनकी बड़ी बेटी निशा उर्फ ईशा की शादी गांव भैंसवान खुर्द निवासी साहिल से 17 फरवरी, 2024 को हुई थी। साथ ही छोटी बेटी खुशी की शादी साहिल के छोटे भाई सावन के साथ हुई थी। दो माह पहले उनकी बेटी निशा ने बेटे को जन्म दिया था। बेटा पैदा होने के बाद से साहिल उनकी बेटी को ज्यादा परेशान करने लगा था। सपना ने बताया कि साहिल उनकी बेटी निशा से कहता था कि तू मुझे पसंद नहीं है और तुझे जान से मारकर दूसरी शादी करूंगा। बुधवार रात को खाना खाने के बाद साहिल व निशा दो माह के बेटे के साथ कमरे में सोने के लिए चले गए। देर रात करीब 12 बजे उसने छुरा (धारदार चाकू) से बेटी का गला काट दिया। सपना का कहना है कि वह रात को मौके पर नहीं थी। वह अपनी बहन के घर यूपी के मेरठ गई थी। वहां से लौटने पर अपनी दूसरी बेटी खुशी से बात करने के बाद पूरी घटना का पता लगा। पुलिस ने सपना के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। देर रात मामले का पता लगने पर बरोदा थाना की भैंसवान चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को निशा का शव कमरे में खून से लथपथ मिला। पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लैब की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए।

पहले कार से टक्कर मारी, फिर बोनट पर गिरे व्यक्ति को 200 मीटर ले गया, साइड में गिरा कर भागा

संवाददाता, हिसार। हिसार ऑटो मार्केट में अपनी गाड़ी के ऑटो पार्ट लेने जा रहे एक व्यक्ति को कार चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। टक्कर लगने से घायल बोनट पर गिरे रोहताश को चालक उसी हालत में 200 मीटर दूर तक ले गया। फिर कट मारकर उसे साइड में गिराकर फरार हो गया। इसकी वीडियो फुटेज भी वायरल हो रही है। सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में मॉडल टाउन निवासी कार चालक प्रदीप के खिलाफ केस दर्ज किया है। गांव कुलेरी निवासी सतबीर सिंह ने पुलिस को बयान देकर कहा कि वह 2 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे अपने बेटे अनिल कुमार के साथ ऑटो मार्केट में गाड़ी के पार्ट लेने गया था।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा उत्सव को आचार्य प्रिंटिंग प्रेस 183/13, दयानंद मठ, गोहाना रोड, रोहतक से छपवाकर सम्पादक-नीतू विज 408/8, कार्यालय संत नगर, गोहाना (सोनीपत) से प्रकाशित किया।
समाचार पत्र से सम्बन्धित किसी भी वाद-विवाद के लिए न्याय क्षेत्र गोहाना न्यायालय ही रहेगा। HARHIN/2016/70595(Mob. 9354862695,9254036101)